

मेसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड-एसईजेड के आईटी-आईटीईएस सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपज़ -एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 24.04.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अनुमोदन समिति की 110 वीं बैठक का विवरण।

1	सेज़ का नाम	मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड-एसईजेड
2	सेक्टर	IT/ITES
3	बैठक क्र	110 वीं
4	तारीख	23.04.2024

उपस्थित सदस्य

क्रमांक न.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्रीमती भारती आहूजा सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	डॉ. दिलीराज दाभोले, उप निदेशक डीजीएफटी,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
4	श्रीमती मालती जे. नायर, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे से नामित

विशेष आमंत्रित

क्रमांक न.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्री डी.बी. मोरे, विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपज़-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर **01:** दिनांक **28.03.2024** को आयोजित **109** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 28.03.2024 को आयोजित 109 वीं अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा आइटम नंबर **02:** मेसर्स सीमेंस एनर्जी इंडस्ट्रियल टर्बोमशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परफॉर्मंस का मोनिटरिंग।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, तिसरे ब्लॉक अवधि के वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक, यानि 3 वर्ष के लिए यूनिट के परफॉर्मेंस को नोट किया।

- यूनिट ने वित्त वर्ष 2022-23 में संचयी आधार पर 341.81 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 443.24 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है।

यूनिट ने वित्त वर्ष 2022-23 में संचयी आधार पर 387.38 करोड़ रुपये यानी 87.39% का सकारात्मक एन.एफ.ई (नेट विदेशी मूल्य (हासिल किया है।

- यूनिट ने 701 कर्मचारियों (पुरुष-594, महिला-107) को रोजगार दिया।
- एजेंडा आइटम नंबर 03: मेसर्स बीएनवाई मेलॉन टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड द्वारा निदेशक मंडल में बदलाव की मंजूरी के लिए प्रस्तुत आवेदन।**

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I द्वारा जारी निर्देश 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, निदेशक मंडल में बदलाव के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पद का नाम
1.	पवन ग्वालदास पंजवानी	प्रबंध निदेशक
2.	पल्लवी शोम	निदेशक
3.	मार्क डेविड टॉड गिबन्स	निदेशक
4.	सुस्वर शम्भूनाथ गानू	अपर निदेशक

अनुमोदन एमओसी&आई द्वारा जारी अनुदेश संख्या 109 में निर्धारित शर्तों के अधीन है, जो लागू हो।

- परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता;
- परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना;
- सभी राजस्व/कंपनी मामलों/सेबी आदि अधिनियम/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, स्थानांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
- इक्विटी/विलय, डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।

- e. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय , डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व में स्थानांतरण आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा। अधिनियम, 1961.
- f. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
- g. आवेदक को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार मूल्यांकन कार्यालय का विवरण सीबीडीटी को प्रस्तुत करना होगा।
- h. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 110th Meeting of the Approval Committee held under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of Magarpatta Township Development and Construction Co. Ltd.-SEZ, Village Hadapsar, Tal. Haveli, Dist. Pune 411013, held on 23.04.2024 via video conference

1	Name of the SEZ	Magarpatta Township Development And Construction Co. Ltd.-SEZ
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	110 th
4	Date	23.04.2024

Members present

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Smt. Bharati Ahuja Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Dr. Dileeraj Dabhole, Dy. DGFT	Nominee of DGFT, Pune
4	Smt. Malathi J. Nair Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri D. B. More, Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

Agenda Item No. 01: Confirmation of the Minutes of the 109th meeting held on

28.03.2024.

After deliberation, the committee confirmed the minutes of the 109th meeting of Approval Committee held on 28.03.2024

Agenda Item No. 02: Monitoring of Performance for M/s. Siemens Energy Industrial Turbomachinery India Pvt Ltd.

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 3 years from FY 2020-21 to 2022-23 of 3rd Block period, in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. As detailed below:

- The unit has achieved export of Rs. 443.24Cr against the projected export of Rs. Rs. 341.81Cr in FY year 2022-23 on cumulative basis.
- The unit has achieved NFE of Rs. 387.38 Cr i.e, 87.39% in FY year 2022-23 on cumulative basis.
- The unit has achieved employment of 701 employees (Men-594, Women-107)

Agenda Item No. 03: Application for approval of Change in Board of Directors submitted by M/s BNY Mellon Technology Pvt. Ltd.

After deliberation, the committee approved the proposal of the unit for change in Board of Directors, in terms of Instruction No. 109 dated 18.10.2021 issued by MOCI, as detailed below:

Approved List of Board of Directors:

Sr. No.	Name of the Director	Designation
1.	Pawan GwalDas Panjwani	Managing Director
2.	Pallavi Shome	Director
3.	Mark David Todd Gibbons	Director
4.	Suswar Shambhunath Ganu	Additional Director

The approval is subject to the conditions as laid down in Instruction No. 109, as applicable, issued by MOC&I

- a. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity;
- b. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc. by the altered entity and its constituents;
- c. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Act/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
- d. Full financial details relating to change in equity/merger, de-merger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to

Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.

- e. The assessing officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger, de-merger, amalgamation, transfer in ownership etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
- f. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
- g. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing office of the unit to CBDT.
- h. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

राजेश
07.05.2024

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)
(Rajesh Kumar Mishra, IRS)

अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development
Commissioner